जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 153 प्रभात जालोर, मंगलवार 9 सितम्बर, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कई देशों में ''जैनरेशन ज़ी'' का असंतोष प्रस्फुरित हो रहा है

भारी भ्रष्टाचार के कारण ''जैन ज़ी'' को लगता है उसके साथ विश्वासघात हुआ है

- नेपाल में सड़कों पर उतरी जनता पर सरकार ने वॉटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और फायरिंग की, जिसमें 20 लोग मर गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं।
- नेपाल में सड़कों पर उतरी युवा पीढ़ी भारी भ्रष्टाचार से पहले से ही गुस्से में है और सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाकर इसे भड़का दिया है।
- नेपाल में गत दिनों एयर बस खरीद में 10.4 मिलियन डॉलर का घोटाला हुआ, 5 साल जांच चली, कई आरोपी सामने आए पर कार्यवाही नहीं हुई।
- इतना ही नहीं, नेताओं के बच्चों के लग्ज़री जीवन के वीडियोज़ ने भी युवा असंतोष को भड़काया है।
- भारी भ्रष्टाचार से उभरे असंतोष ने श्रीलंका में तख्ता पलट किया और बांग्लादेश में भी जनता ने सड़कों पर आकर सरकार बदल दी।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह युवा पीढ़ी का यह विरोध प्रदर्शन स्वप्रेरित है, जिसमें राजनैतिक दलों का कोई योगदान नहीं है।

-डॉ सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 सितंबर। नेपाल में सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, यूट्यूब और स्नैपचैट सहित, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आज बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 350 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में इसकी हालत नाज़ुक है।

हज़ारों प्रदर्शनकारी, जो खुद को ''जनरेशन ज़ी'' कह रहे थे, सरकार के इस फैसले के खिलाफ काठमांडू में संसद भवन के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध और सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया।

देश में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के प्रति युवाओं में असंतोष और नाराज़गी अब प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।

पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं, जिनकी सार्वजनिक रूप से और संसद में निरन्तर चर्चा होती रही है, लेकिन जिन पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इन प्रदर्शनों को हवा देने का काम कर रही हैं।

इनमें वर्ष 2017 की एयरबस डील शामिल है, जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने दो ए 330 वाइड-बॉडी जेट खरीदे थे। संविधान के तहत गठित निगरानी संस्था ''कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी (सीआईएए)'' द्वारा की गई पाँच साल लंबी जांच से गत वर्ष पता चला कि इस सौदे के कारण सरकारी खजाने को 1.47 अरब नेपाली रुपये (लगभग 10.4 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ। जांच के बाद कई शीर्ष अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया।

2022 में श्रीलंका और 2024 में बांग्लादेश में सरकारों को सत्ता से हटाने वाले आंदोलनों ने भी नेपाल के युवाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा, फिलीपींस में नेताओं के बच्चों की ऐशो-आराम की ज़िंदगी की सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना और नेपाल के राजनेताओं के बच्चों के लग्ज़री जीवन को दिखाते हुए टिकटॉक पर वायरल हुए वीडियोज़ ने भी देश के युवाओं में आक्रोश को बढ़ावा दिया- खासकर एक ऐसे देश में, जहां प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1300 डॉलर प्रति वर्ष है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें टैक्स तो भरना पड़ता है, लेकिन उस पैसे के उपयोग का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जाता।

प्रदर्शनों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई, जिनमें से कुछ ने तो स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं हटेगा'

नयी दिल्ली, 08 सितंबर। नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए उपद्रव और 20 युवाओं की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री के पी ओली ने सोशल मीडिया को खोलने को लेकर अपने रुख में किसी तरह के बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया है।

कांतिपुर ऑनलाइन के अनुसार, कांग्रेस की बैठक में सोशल मीडिया को तुरंत खोलने पर दबाव डाला गया, लेकिन प्रधानमंत्री ओली के अड़ियल रुख के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ओली अब भी सोशल मीडिया खोलने के पक्ष में नहीं हैं।

इस आपात बैठक में शामिल एक

- नेपाल के प्रधानमंत्री के पी ओली ने अड़ियल रुख अपनाते हुए घोषणा की।

मंत्री के अनुसार, गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए सोशल मीडिया खोलने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी सोशल मीडिया खोलने की ज़रूरत पर अपना रुख़ रखा, पर ओली अपने रुख पर कायम रहे।

सरकार ने सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जाँच के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। एक मंत्री के अनुसार, तथ्यों की जाँच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए तत्काल एक जाँच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

भारत पर ''वो'' असर नहीं हो रहा ट्रम्प की मीठी बातों का

जानकार सूत्रों का मानना है, भारत अभी सतर्क निगाहों से देख रहा है अमेरिका के हृदय परिवर्तन को

- ट्रम्प ने शुक्रवार को पत्रकारों से वाइट हाउस में कहा था, अमेरिका व भारत के बीच विशेष रिश्ता है, तथा मोदी एक महान प्र.मंत्री हैं, तथा उनके सदा मित्र रहेंगे।
- मोदी ने प्रत्युत्तर में कहा, वे ट्रम्प की भावना को सकरात्मक मानते हैं, पर गौर-तलब बात है, कि मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में ''मित्र'' कहकर सम्बोधित नहीं किया, जिसका मतलब यह लगाया जा रहा है, कि मोदी बड़ी सतर्कता से सम्बंधों की यात्रा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
- भारत सरकार के अनुसार ट्रंप के वाक्तव्य, इस बात का संकेत नहीं हैं, कि अमेरिका, भारत के सम्बंधों को अब नए नज़रिये से देख रहा है बल्कि भारत, वॉशिंगटन से मैत्रीपूर्ण संकेतों का इन्तज़ार करेगा, अमेरिका से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 सितम्बर। पिछले कुछ हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाए जाने के बाद, अब जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी भाषा नरम की है, तो भारत ने इस बदलाव पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है।

ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस में कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है और दोनों देशों के बीच एक विशेष संबंध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ''महान प्रधानमंत्री'' बताया और कहा कि वे हमेशा मोदी के मित्र रहेंगे। मोदी ने कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉम 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ट्रंप की भावनाओं की ''गहराई से सराहना करते हैं और उनका सम्मानपूर्वक उत्तर देते हैं।'' हालांकि, नई दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि वे ट्रंप की टिप्पणी को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अतीत की तुलना में मोदी का रुख इस बार अलग था। इस बार उन्होंने ट्रंप को व्यक्तिगत मित्र कहकर संबोधित नहीं किया, जो यह संकेत देता है कि भारत सावधानी से आगे बढ़ रहा है।

मामले की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुये, गोपनीयता की शर्त पर बात कर रहे अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप की हालिया टिप्पणी को भारत-अमेरिका संबंधों में नई शुरुआत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उनका कहना था कि वॉशिंगटन की ओर से और भी भरोसेमंद संकेत मिलने तक भारत रिश्तों को सामान्य मानकर नहीं चलेगा।

''आधार कार्ड'' स्वीकार्य होना चाहिये पहचान जताने के लिये

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुनः दोहराया, कि आधार कार्ड उन बारह दस्तावेजों में शामिल होना चाहिये, जो पहचान स्थापित करते हैं

- पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, कि ''आधार कार्ड'' को नागरिकता स्थापित करने के काम में नहीं लिया जा सकता।
- पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का तर्क स्वीकार नहीं किया, कि जाली आधार कार्ड बनाये जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जवाबी तर्क था, फर्ज़ी या जाली, वो तो सभी दस्तावेज बनाये जा सकते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग पहचान स्थापित करने के लिये काम में लेता है।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के गहन पूनरीक्षण मामले में कहा कि, चुनाव आयोग को आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और इसे उन 11 अन्य दस्तावेज़ों की सूची में शामिल करना होगा जिन्हें इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता दोबारा सत्यापन के लिए वैध माना गया है।

सोमवार सुबह अदालत में मौखिक आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आधार कार्ड को पहचान साबित करने के लिए 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ा या हटाया जा सके।

हालाँकि, चुनाव आयोग की पहले की इस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कि आधार कार्ड नकली बनाया जा सकता है और इसलिए पहचान साबित करने का उपयुक्त विकल्प नहीं है, अदालत ने कहा कि चुनाव अधिकारी कार्ड की ''प्रामाणिकता की जांच'' कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

सोमवार का यह आदेश जुलाई में अदालत की एक टिप्पणी की प्रतिध्वनि है; तब अदालत ने इशारा किया था कि फर्जीवाड़े का खतरा किसी भी दस्तावेज़ में हो सकता है, जबकि चुनाव आयोग ने इसी कारण दो अन्य दस्तावेज़ों को सूची से बाहर रखा था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टेलीग्राफ के संपादक संकर्षण ठाकुर का निधन

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 सितम्बर। टेलीग्राफ के संपादक संकर्षण का सोमवार सुबह गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में कैंसर से निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे ठीक उसी उम्र में, जिस उम्र में उनके पिता और प्रसिद्ध पत्रकार जनार्दन ठाकुर का 1999 में निधन हुआ था। जनार्दन

- जाने माने पत्रकार जनार्दन ठाकुर के बेटे संकर्षण कैंसर से पीड़ित थे और गुरुग्राम के मेदान्ता अस्पताल में भर्ती थे।

ठाकुर उस समय फ्री प्रेस जर्नल के संपादक थे।

अंतिम संस्कार सोमवार शाम 5 बजे लोधी रोड शवदाहगृह में किया जाएगा।

संकर्षण ने रविवार को फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी करवाई थी। उनके मित्र ए प्लस रक्त के डोनर की तलाश कर रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो सका।

जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में 75 प्रतिशत वोट मिले थे

सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों का अच्छा समर्थन मिला था, तथा गत तीन दशकों में इतने भारी मतों से कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं जीता था

- इस बार भी साधारण अंक गणित के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 881 वोटर हैं, तथा 391 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, तथा एन.डी.ए. के 425 सांसद हैं, लोकसभा व राज्यसभा में। अतः भाजपा के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
- पर, इस बार के.सी.आर. की पुत्री, के. कविता बगावत की मुद्रा में हैं, अतः हो सकता है कि के.सी.आर. की पार्टी, जिसने धनखड़ के चुनाव में एन.डी.ए. का साथ दिया था, इस बार मतदान में भाग न ले।
- नवीन पटनायक की बी.जे.डी. भी संभवतया गत चुनाव की भांति, एन.डी.ए. के उम्मीदवार को समर्थन देगी, पर इस बार स्थिति स्पष्ट नहीं है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 सितंबर। सूत्रों ने आज सुबह एन.डी.टी.वी. को जानकारी दी कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की उम्मीद है, हालांकि, इस बार जीत का अंतर पिछले चुनावों जितना बड़ा नहीं होगा।

एन.डी.ए. सूत्रों के अनुसार, इसीलिए हर वोट पर नज़र रखी जा रही है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव सभी सांसद गुप्त मतदान से करते हैं। इसका मतलब है कि सांसद अपनी इच्छा से वोट डाल सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर समय वे पार्टी लाइन पर चलते हैं। फिर भी, क्रॉस वोटिंग आम है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, के. चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पहले भी कई बार भाजपा का समर्थन कर चुकी हैं।

उदाहरण के लिए, 2022 में जगदीप धनखड़ ने तीन दशकों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, जब उन्हें विपक्षी खेमे से भी समर्थन मिला था। इसमें वायएसआर कांग्रेस और उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू जनता दल (बीजद) का भी समर्थन शामिल था। धनखड़ को लगभग 75 प्रतिशत वोट मिले थे।

इस बार भी क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है।

वर्तमान में राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। यानी कुल 781 सांसद वोट डालने के पात्र हैं और बहुमत का आंकड़ा 391 है। एनडीए के पास 425 सांसद हैं। इस हिसाब से भाजपा के उम्मीदवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, साफ़ तौर पर विजेता दिखते हैं, जब तक कि भारी क्रॉस वोटिंग न हो।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा को 2022 की तरह औपचारिक गठबंधन से बाहर का समर्थन मिलने का भरोसा भी है। जगन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस पहले ही राधाकृष्णन को समर्थन दे चुकी है।

वायएसआर कांग्रेस के पास कुल 11 सांसद हैं, राज्यसभा में सात और लोकसभा में चार।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पीलीभीत में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ी

पीलीभीत, 08 सितंबर। नेपाल में बैन-भ्रष्टाचार के विरुद्ध संसद में घुसे युवाओं पर सेना की फायरिंग में 20 मौतों और 250 घायलों के घटे घटना क्रम के बाद पीलीभीत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह

- नेपाल में हिंसक घटनाक्रम के बाद पीलीभीत प्रशासन ने सशस्त्र सीमा बल को बॉर्डर पर तैनात किया है।

एवं एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घटना क्रम की जानकारी के बाद नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल को सतर्क किया गया है। घटना क्रम का संज्ञान लेते हुए वहां के घटना क्रम पर दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए है। दोनों अधिकारियों ने पीलीभीत से सटी नेपाल सीमा पर किसी भी प्रतिबंध एवं कर्फ्यू लगाए जाने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र ना था, वो बात उनको बहुत ना-गवार गुज़री है'

राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने 20 मिनट की सुनवाई के बाद एसआई भर्ती प्रकरण में सिंगल बैंच के 202 पेज के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

- डबल बैंच ने स्टे देते हुए सवाल उठाया है कि, याचिकाकर्ता ने जो एस.आई.टी. रिपोर्ट एकलपीठ में पेश की थी, वह रिपोर्ट वास्तविक है या नहीं?
- बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एसआई भर्ती 2021 केस में हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत जिस एसआईटी रिपोर्ट पर डबल बैंच सवाल उठा रही है उसे ना तो कभी एसओजी ने झूठा बताया और ना ही राज्य सरकार या प्रतिवादी पक्ष ने इसे चुनौती दी, फिर खंडपीठ सवाल क्यों खड़े कर रही है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर 8 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ के गत 28 अगस्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले की अगली तारीख 8 अक्टूबर को रखी गयी है। अदालत ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि, अगली सुनवाई तक इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाये, परंतु वह ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश अमर सिंह व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। गौरतलब है कि एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला करते हुए भर्ती रद्द करने की मंशा जताते हुए राज्य सरकार को आरपीएससी में विस्तृत रिपोर्ट देने और उसके बाद आगामी कार्रवाई के आदेश दिए थे।

इस मामले में खंडपीठ ने यह सवाल उठाया कि, एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई याचिका में एस.ओ.जी. द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) की जो रिपोर्ट संलग्न की गई थी, उसे एडीजी एस.ओ.जी. द्वारा सत्यापित किया गया था या नहीं। अदालत ने अपील में आए याचिकाकर्ता की ओर से पूछा गया कि सिंगल बैंच में याचिका दायर करने वालों के पास एस.ओ.जी. की रिपोर्ट कहां से आई, क्योंकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं थी। इस प्रश्न को उठाते हुए अदालत में अपने आदेश में कहा कि, वह इस बिंदु पर संतुष्ट नहीं हुए कि यह रिपोर्ट कैसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई और इसकी वास्तविकता क्या है?

गौरतलब है कि एकलपीठ के समक्ष अदालती आदेशों पर इस मामले में एस.ओ.जी. द्वारा ही चार्जशीट और अपनी रिपोर्ट भी पेश की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी जांच पडताल के संबंधित सभी दस्तावेज गृह विभाग की सिफारिश, एस.ओ.जी. की एसआईटी की सिफारिश, मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश और गृह विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई सिफारिश के दस्तावेज अदालत में मुहैया करवाए गए थे। इसके अलावा इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा महाधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से भी वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे और साथ ही कम से कम 2 बार अदालत के सवालों के जवाब देने के लिए ए.डी.जी. वी.के.सिंह अदालत में पेश हुए थे।

एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा कभी भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एसआईटी की रिपोर्ट की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया गया और यह भी नहीं कहा कि उसे निजी स्वार्थ अथवा दुर्भावनावश फेरबदल किया गया है। इस मामले में रोचक बात यह है कि, एक तरफ राज्य सरकार ने ही दिसंबर-2023 में सत्ता में आते ही एस.आई. भर्ती-2021 की जांच एसओजी को सौंप दी थी। परंतु अदालत के समक्ष के सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि, कई कारण जो कि राजनैतिक प्रतीत हो रहे थे, की वजह से परीक्षा रद्द करने के विरोध में ही अदालत में जिरह की थी। जबकि स्वयं महाधिवक्ता अपनी कानूनी राय में कह चुके थे कि, एस.आई.टी. की जांच से स्पष्ट होता है, इस मामले में दूध का दूध-पानी का पानी नहीं किया जा सकता और वास्तविक अभ्यर्थियों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संघ के सरकार्यवाह होसबोले जोधपुर एम्स में भर्ती

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तबीयत बिगड़ गई। बीपी हाई होने पर उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एम्स की सूचना पर पुलिस अधिकारी

- दोपहर में अचानक बीपी हाई हो जाने के कारण उन्हें भर्ती कराया गया।

भी मौके पर पहुंचे।

जानकारी के अनुसार, 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में आर एस एस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई थी। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत बैठक में शामिल होने के लिए 1 सितंबर को ही जोधपुर आ गये थे। अगले दिन 2 सितंबर को दत्तात्रेय होसबोले पहुंचे। दोनों लोगों ने 7 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक ली। बैठक के बाद,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)